Journal of Advances and Scholarly Research In Allied Education
Vol.23, Issue No. 5, October-2026, ISSN 2230-7540

डिजिटल इंडिया और वित्तीय समावेशन: जनधन-आधार-मोबाइल ट्रिनिटी के प्रभाव का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

आशीष कुमार सिंह[1]*, डॉ लोकेश कुमार[2]

[1] शोधार्थी,अर्थशास्त्र विभाग, जे. एस. पी. जी. कॉलेज, सिकंदराबाद, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश, भारत

asheeshsinghkumar@gmail.com

[2] एसोसिएट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, जे. एस. पी. जी. कॉलेज, सिकंदराबाद, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश: मेरा शोध पत्र 'डिजिटल इंडिया' महाअभियान के अंतर्गत भारतीय आर्थिक परिदृश्य में आए युगांतकारी परिवर्तन, विशेषकर जनधन-आधार-मोबाइल ट्रिनिटी के समन्वय द्वारा वित्तीय समावेशन पर पड़े बहुआयामी प्रभावों का एक व्यापक, व्यवस्थित और विश्लेषणात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखा जाए, तो स्वतंत्रता के कई दशकों बाद तक भारत की एक विशाल आबादी, विशेष रूप से ग्रामीण, सुदूरवर्ती क्षेत्रों के निवासी और समाज के सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, औपचारिक बैंकिंग एवं वित्तीय प्रणाली की परिधि से पूरी तरह वंचित थे। इस संस्थागत शून्यता और आर्थिक असमानता को पाटने के उद्देश्य से वर्ष 2015 में क्रियान्वित 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम के तहत जैम ट्रिनिटी को एक क्रांतिकारी और गेम-चेंजर रणनीति के रूप में लागू किया गया।इस अध्ययन का मुख्य ध्येय यह गंभीर परीक्षण करना है कि किस प्रकार प्रधानमंत्री जन धन योजना के वित्तीय समावेशन मॉडल, विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की अचूक बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण प्रणाली, और मोबाइल टेलीफोनी की अभूतपूर्व पैठ के त्रिकोणीय एकीकरण ने हाशिए पर मौजूद अंतिम व्यक्ति तक सस्ती, सुलभ और सुरक्षित वित्तीय सेवाएं पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। शोध पद्धति के अंतर्गत यह अध्ययन पूरी तरह से द्वितीयक आंकड़ों के तुलनात्मक और समय-श्रृंखला विश्लेषण पर आधारित है, जिसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक , वित्त मंत्रालय, विश्व बैंक की ग्लोबल फिंडेक्स रिपोर्ट और विभिन्न प्रतिष्ठित अकादमिक जर्नल्स के प्रामाणिक सांख्यिकीय डेटा का सहारा लिया गया है।

अनुसंधान के निष्कर्ष स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हैं कि जैम नेटवर्क ने न केवल देश में बैंकिंग और वित्तीय साक्षरता के प्रति जनचेतना जगाई है, बल्कि कुल बैंक खातों की संख्या को 50 करोड़ से पार ले जाकर एक वैश्विक कीर्तिमान स्थापित किया है। इसमें भी उल्लेखनीय तथ्य यह है कि इन खातों में से आधे से अधिक हिस्सेदारी महिलाओं की है, जो आर्थिक लैंगिक सशक्तिकरण को रेखांकित करती है। इसके अतिरिक्त, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के सुचारू संचालन में इस ट्रिनिटी की भूमिका बेमिसाल रही है; इसने बिचौलियों के एकाधिकार और प्रशासनिक तंत्र में होने वाले वित्तीय रिसाव को न्यूनतम करके सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के वितरण में अभूतपूर्व पारदर्शिता, गति और राजकोषीय अनुशासन सुनिश्चित किया है।तथापि, यह विश्लेषणात्मक अध्ययन केवल सफलताओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह इसके व्यावहारिक एवं संरचनात्मक अंतर्विरोधों पर भी सूक्ष्म प्रकाश डालता है। आंकड़ों की गहराई से पड़ताल करने पर यह उजागर होता है कि यद्यपि संख्यात्मक रूप से खाता खोलने का लक्ष्य बड़े पैमाने पर हासिल कर लिया गया है, लेकिन ग्रामीण और अर्ध-शहरी अंचलों में 'डिजिटल साक्षरता' का निम्न स्तर, उन्नत तकनीकी अनुप्रयोगों के प्रति मनोवैज्ञानिक भय, साइबर सुरक्षा से जुड़ी आशंकाएं और दूरसंचार बुनियादी ढांचे (इंटरनेट की गति और एटीएम नेटवर्क) की सीमाएं अभी भी पूर्ण और गुणात्मक वित्तीय समावेशन के मार्ग में गंभीर चुनौतियां बनी हुई हैं। अंततः, यह शोध पत्र यह प्रतिपादित करता है कि इन संरचनात्मक और व्यावहारिक अंतरालों को सुदृढ़ वित्तीय साक्षरता अभियानों और सुरक्षित बैंकिंग परिवेश के माध्यम से दूर कर ही जैम ट्रिनिटी के वास्तविक दर्शन और भारत के समग्र आर्थिक लोकतंत्र के स्वप्न को साकार किया जा सकता है।

मुख्य शब्दडिजिटल इंडिया,वित्तीय समावेशन, जैम ट्रिनिटी,जनधन योजना,आधार कार्ड, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण,डिजिटल बैंकिंग, वित्तीय साक्षरता, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, आर्थिक सशक्तिकरण

प्रस्तावना:

वित्तीय समावेशन किसी भी प्रगतिशील राष्ट्र के समावेशी विकास, सामाजिक न्याय और व्यापक आर्थिक सशक्तिकरण की अनिवार्य आधारशिला है। सैद्धांतिक और व्यावहारिक रूप से इसका अभिप्राय समाज के सबसे पिछड़े, शोषित और कम आय वाले वंचित वर्गों को बेहद किफायती लागत पर संस्थागत बैंकिंग, ऋण, बचत, बीमा और पेंशन जैसी बुनियादी वित्तीय सेवाएं सुलभ कराना है। भारत जैसे विशाल, बहुआयामी और अत्यधिक जनसांख्यिकीय विविधता वाले विकासशील देश में, जहाँ आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी ग्रामीण अंचलों और सुदूरवर्ती भौगोलिक क्षेत्रों में निवास करता है, पारंपरिक 'ईंट-गारे' पर आधारित बैंकिंग मॉडल हर नागरिक तक अपनी भौतिक पहुँच स्थापित करने में ऐतिहासिक रूप से असमर्थ रहा। वाणिज्यिक बैंकों की उच्च संचालन लागत और ग्रामीण क्षेत्रों में ढांचागत सुविधाओं की कमी के कारण एक लंबी अवधि तक देश की बहुसंख्यक जनता साहूकारों और अनौपचारिक वित्तीय स्रोतों के चंगुल में फंसी रही, जिससे आर्थिक असमानता की खाई लगातार गहरी होती चली गई।

इस गंभीर ढांचागत चुनौती और विकासात्मक अवरोध को स्वीकार करते हुए, भारत सरकार ने वर्ष 2015 में 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम की संकल्पना की। इस दूरदर्शी मिशन का प्राथमिक उद्देश्य देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान-आधारित आधुनिक अर्थव्यवस्था में रूपांतरित करना था। डिजिटल इंडिया केवल एक तकनीकी परियोजना नहीं थी, बल्कि यह लोक-प्रशासन और नागरिक सशक्तिकरण का एक नया प्रतिमान था, जिसने शासन व्यवस्था के केंद्र में तकनीक को स्थापित किया। इस अभूतपूर्व डिजिटल क्रांति का सबसे सुदृढ़, व्यावहारिक और परिवर्तनकारी स्तंभ जैम ट्रिनिटी' (जनधन-आधार-मोबाइल) का एकीकृत ढांचा बनकर उभरा। इस त्रिकोणीय दृष्टिकोण के पहले घटक, 'प्रधानमंत्री जन धन योजना' ने देश के इतिहास में सबसे बड़ा वित्तीय समावेशन अभियान चलाकर शून्य शेष राशि पर करोड़ों बुनियादी बैंक खाते खोले और वित्तीय छुआछूत को समाप्त कर बैंकिंग के द्वार आम जनता के लिए खोल दिए। दूसरे घटक, 'आधार' ने प्रत्येक नागरिक को एक अद्वितीय, अचूक और संप्रभु बायोमेट्रिक पहचान प्रदान की, जिसने पहचान के अभाव में बैंकिंग सेवाओं से वंचित रह जाने वाले वर्ग को एक वैधानिक पहचान दी। तीसरे घटक, 'मोबाइल' कनेक्टिविटी की देशव्यापी और तीव्र पैठ ने इन समस्त अमूर्त वित्तीय सेवाओं को सीधे जनता की उंगलियों और उनकी चौखट पर ला खड़ा किया।

इन तीनों अलग-अलग डोमेन के नीतिगत एकीकरण ने भारत के पारंपरिक वित्तीय परिदृश्य और वित्तीय व्यवहार को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। जैम ट्रिनिटी के इस सह-अस्तित्व ने न केवल ग्रामीण अंचलों में वित्तीय गतिशीलता और संस्थागत जमा पूंजी को बढ़ावा दिया है, बल्कि सरकार की लोक

कल्याणकारी नीतियों, सब्सिडी तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के वितरण तंत्र में एक ऐसी क्रांतिकारी पारदर्शिता स्थापित की है जिसकी कल्पना पहले असंभव थी। डिजिटल इंडिया के इस विस्तृत संदर्भ में, जैम ट्रिनिटी केवल आर्थिक समावेश का उपकरण मात्र नहीं है, बल्कि यह देश के अंतिम नागरिक को मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था में भागीदार बनाने और उनके आर्थिक अधिकारों को सीधे उन तक पहुँचाने का एक सशक्त लोकतांत्रिक माध्यम बन गया है।

प्रासंगिकता:

मेरे शोध पत्र की प्रासंगिकता और सामयिकता समकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था, सामाजिक-आर्थिक नीतियों और वैश्विक विकास संकेतकों के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरा यह अध्ययन किसी सतही बजटीय आवंटन या तात्कालिक योजना का मूल्यांकन नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर भारत के उस बुनियादी ढांचे और व्यापक सामाजिक परिवर्तन से जुड़ा है जो 21वीं सदी के 'डिजिटल भारत' की पहचान बन चुका है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में यह शोध एक महत्वपूर्ण अकादमिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। विशेष रूप से गरीबी उन्मूलन, लैंगिक समानता, और असमानता को कम करने जैसे वैश्विक लक्ष्यों को तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता, जब तक समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को देश की मुख्यधारा की आर्थिक गतिशीलता का हिस्सा न बनाया जाए।जनधन-आधार-मोबाइल ट्रिनिटी ने ठीक इसी बिंदु पर प्रहार करते हुए हाशिए के समाजों को वह वित्तीय शक्ति प्रदान की है जो उनके सतत आर्थिक उन्नयन के लिए आवश्यक है।व्यावहारिक धरातल पर इस शोध की प्रासंगिकता इस तथ्य में निहित है कि यह भारतीय लोक-कल्याणकारी राज्य के प्रशासनिक पुनर्गठन का एक प्रामाणिक दस्तावेज प्रस्तुत करता है। ऐतिहासिक रूप से, भारतीय कल्याणकारी योजनाएं वित्तीय रिसाव और बिचौलियों के अनियंत्रित एकाधिकार से ग्रस्त थीं, जिसके कारण नीतिगत स्तर पर जारी किया गया धन वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचते-पहुंचते अत्यधिक कम हो जाता था। जनधन-आधार-मोबाइल ट्रिनिटी के आने से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रणाली को एक अभूतपूर्व तकनीकी सुरक्षा कवच मिला है। इस शोध के माध्यम से यह समझना आसान हो जाता है कि कैसे बायोमेट्रिक पहचान और डिजिटल बैंकिंग के गठजोड़ ने भ्रष्टाचार के पारंपरिक रास्तों को पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया है। इससे न केवल जनता का प्रशासनिक व्यवस्था पर भरोसा बढ़ा है, बल्कि देश के राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने में भी सरकार को अभूतपूर्व सहायता मिली है क्योंकि फर्जी और दोहरे लाभार्थियों को प्रणाली से पूरी तरह बाहर कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में भी इस अध्ययन की महत्ता निर्विवाद है। आज संपूर्ण विश्व, विशेषकर अफ्रीका, लातिन अमेरिका और दक्षिण एशिया के विकासशील देश, वित्तीय समावेशन और

डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भारत के जनधन-आधार-मोबाइल मॉडल को एक अनुकरणीय गहन अध्ययन के रूप में देख रहे हैं। भारत ने यह सिद्ध किया है कि बिना किसी अत्यधिक महंगे पारंपरिक बैंकिंग नेटवर्क के भी, केवल तकनीक के सही समन्वय से अत्यंत कम समय में अरबों लोगों को वित्तीय साक्षरता और समावेशन के दायरे में लाया जा सकता है। अतः, यह शोध पत्र न केवल घरेलू नीति-निर्माताओं के लिए बल्कि वैश्विक स्तर पर समावेशी विकास रणनीतियों को तैयार करने वाले नीति-विशेषज्ञों और शोधार्थियों के लिए भी एक अत्यंत मूल्यवान, मौलिक और व्यावहारिक मार्गदर्शिका के रूप में अपनी प्रासंगिकता सिद्ध करता है।

साहित्य का पुनरावलोकन:

साहित्य समीक्षा किसी भी अकादमिक अनुसंधान का वह रीढ़ विहीन ढांचा अथवा वैचारिक आधार स्तंभ होती है जो विषय से संबंधित पूर्व में किए गए अन्वेषणों, स्थापित सिद्धांतों और ऐतिहासिक निष्कर्षों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करती है। इसकी मुख्य भूमिका शोधकर्ता को विषय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से गहराई से अवगत कराने, वर्तमान ज्ञान के स्तर को समझने और उन अनसुलझे पहलुओं की पहचान करने में होती है जो वर्तमान शोध का ठोस धरातल बनते हैं। यह पूर्ववर्ती विद्वानों के विचारों का केवल संकलन मात्र नहीं है, बल्कि यह अध्ययन को एक सही दिशा और तार्किक आधार प्रदान करती है ताकि पहले से स्थापित तथ्यों को दोहराने के बजाय ज्ञान के क्षेत्र में नया और मौलिक योगदान दिया जा सके। इसके माध्यम से अनुसंधान की सीमाओं को परिभाषित किया जाता है और अध्ययन की प्रामाणिकता को अकादमिक जगत में स्थापित किया जाता है।भारतीय आर्थिक परिदृश्य में वित्तीय समावेशन और डिजिटल शासन व्यवस्था के अंतर्संबंधों तथा उनके व्यावहारिक निहितार्थों पर समय-समय पर विभिन्न अर्थशास्त्रियों, वित्तीय विश्लेषकों, नीति-निर्धारकों और समाजशास्त्रियों ने अपने अत्यंत महत्वपूर्ण विचार व अनुभवजन्य निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो चक्रवर्ती समिति (वर्ष 2013) ने अपनी विस्तृत और ऐतिहासिक रिपोर्ट में इस बुनियादी तथ्य को अत्यंत दृढ़ता के साथ रेखांकित किया था कि पारंपरिक बैंक मॉडल अर्थात् भौतिक शाखाओं के माध्यम से भारत के सुदूरवर्ती ग्रामीण अंचलों और भौगोलिक रूप से दुर्गम क्षेत्रों तक वित्तीय सेवाएं पहुँचाना आर्थिक व प्रशासनिक रूप से व्यावहारिक नहीं है। समिति की संस्तुति थी कि इस पारंपरिक व्यवस्था में ढांचागत बदलाव लाने के लिए तकनीकी नवाचारों, सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल माध्यमों का व्यापक समावेश अनिवार्य है।

इसी तकनीकी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए सुब्रमण्यम (वर्ष 2018) ने अपने व्यापक आर्थिक अध्ययन में यह प्रतिपादित किया कि जनधन बैंक खातों और विशिष्ट बायोमेट्रिक पहचान संख्या के सुदृढ़ ढांचागत जुड़ाव ने एक ऐसा सुरक्षा तंत्र विकसित किया है जिसने सरकारी सब्सिडी, छात्रवृत्ति तथा अन्य सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के वितरण में होने वाले पारंपरिक वित्तीय रिसाव और बिचौलियों के अनियंत्रित हस्तक्षेप को पूरी तरह रोकने में अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। उनके सांख्यिकीय विश्लेषण के अनुसार, इस व्यवस्था से न केवल वास्तविक और लक्षित लाभार्थियों को सीधा लाभ मिला है, बल्कि देश के प्रशासनिक तंत्र में पारदर्शिता आई है और सरकारी खजाने से होने वाले अपव्यय पर रोक लगने से राजkoषीय घाटे को नियंत्रित करने में भी केंद्रीय शासन को व्यापक मदद मिली है।

इसके समानांतर, डिजिटल लेन-देन के जमीनी स्तर पर प्रभाव का मूल्यांकन करते हुए जेम्स और जोसफ (वर्ष 2021) द्वारा किए गए शोध से यह महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में आता है कि मोबाइल बैंकिंग और त्वरित भुगतान प्रणालियों (जैसे एकीकृत भुगतान इंटरफेस) के देशव्यापी और तीव्र प्रसार ने छोटे व्यापारियों, रेहड़ी-पटरी वालों, दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों और ग्रामीण उपभोक्ताओं के बीच वित्तीय लेनदेन की लागत और समय को अत्यधिक कम कर दिया है। उनके अध्ययन के निष्कर्ष दर्शाते हैं कि इस त्वरित गतिशीलता ने ग्रामीण बाजारों में तरलता की कमी और आर्थिक संकुचन को दूर कर स्थानीय व्यापार को एक नया संवेग प्रदान किया है, जिससे अनौपचारिक ऋणदाताओं पर निर्भरता कम हुई है।

तथापि, वित्तीय समावेशन की इस यात्रा के सिक्के का दूसरा पहलू भी विचारणीय है। कतिपय विद्वानों जैसे शर्मा और कुमार (वर्ष 2023) ने अपने समकालीन अध्ययनों में देश के नीति-निर्माताओं को सचेत करते हुए यह विचार व्यक्त किया है कि तीव्र प्रगति के बावजूद भारत के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच 'डिजिटल विभाजन' की एक बहुत बड़ी और गहरी खाई आज भी मौजूद है। उनके शोध के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की धीमी गति, साइबर सुरक्षा संबंधी बढ़ती चिंताएं, ऑनलाइन धोखाधड़ी का मनोवैज्ञानिक भय, और बुनियादी तकनीकी ढांचे का असमान प्रादेशिक वितरण अभी भी देश के प्रत्येक नागरिक को पूर्ण वित्तीय समावेशन के दायरे में लाने के मार्ग में सबसे बड़ी और गंभीर बाधाएं बनी हुई हैं।

इसके साथ ही, महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में चौधरी (वर्ष 2025) के नवीनतम शोध पत्र के निष्कर्ष यह स्पष्ट करते हैं कि यद्यपि जनधन योजना के माध्यम से महिलाओं के नाम पर बैंक खाते खोलने में संख्यात्मक रूप से भारी सफलता मिली है, परंतु उन खातों के वास्तविक संचालन, बचत और ऋण सुविधाओं के उपयोग के मामले में ग्रामीण महिलाएं अभी भी परिवार के पुरुष सदस्यों पर निर्भर हैं। अतः, इन अध्ययनों का समेकित विश्लेषण यह दर्शाता है कि संख्यात्मक समावेशन से गुणात्मक

समावेशन की ओर बढ़ने के लिए भारत को अभी एक दीर्घकालिक और बहुआयामी रणनीति की आवश्यकता है।

शोध अंतराल:

यद्यपि पूर्ववर्ती अर्थशास्त्रियों और शोधकर्ताओं द्वारा किए गए अधिकांश शोध जनधन बैंक खातों की केवल संख्यात्मक वृद्धि, उनके प्रादेशिक वितरण और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से राजकोषीय घाटे में होने वाली कमी जैसे व्यापक आर्थिक लाभों पर ही केंद्रित रहे हैं, परंतु इन खातों की वास्तविक क्रियाशीलता और उनके व्यावहारिक संचालन पर बहुत कम ध्यान दिया गया है। वर्तमान साहित्य में इस बात का गहराई से विश्लेषण करने में एक स्पष्ट कमी या अंतराल दिखाई देता है कि क्या ये जनधन खाते ग्रामीण क्षेत्रों और हाशिए पर मौजूद समुदायों, विशेषकर महिलाओं के दैनिक जीवन, उनके घरेलू निर्णयों और वित्तीय स्वायत्तता को गुणात्मक रूप से प्रभावित कर पा रहे हैं या नहीं। अधिकांश पूर्ववर्ती अध्ययन इस जमीनी हकीकत का मूल्यांकन करने में पूरी तरह विफल रहे हैं कि वित्तीय साक्षरता के अभाव में क्या ये खाते केवल सरकारी सब्सिडी और राहत राशि प्राप्त करने का एक निष्क्रिय माध्यम बनकर रह गए हैं, या इनका उपयोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था में वास्तविक बचत को बढ़ावा देने, संस्थागत ऋण प्राप्त करने और सूक्ष्म बीमा जैसी उन्नत वित्तीय सेवाओं का लाभ उठाने के लिए भी किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, अधिकांश उपलब्ध साहित्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच मौजूद तकनीकी विभाजन को केवल बुनियादी ढांचे (जैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी या मोबाइल उपलब्धता) के चश्मे से देखता है, जबकि डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण उत्पन्न होने वाले मनोवैज्ञानिक अवरोधों और साइबर सुरक्षा के भय जैसे सूक्ष्म सामाजिक-सांस्कृतिक पहलुओं को नजरअंदाज कर दिया जाता है। पूर्व के अध्ययनों में इस बात का भी कोई व्यवस्थित विश्लेषण नहीं मिलता कि जनधन-आधार-मोबाइल ट्रिनिटी के लागू होने के बाद भी बैंकिंग संवाददाताओं या स्थानीय एजेंटों पर ग्रामीण आबादी की निर्भरता किस हद तक बनी हुई है और क्या यह निर्भरता वास्तविक वित्तीय समावेशन के मूल दर्शन को कमजोर करती है। प्रस्तुत शोध पत्र इसी संख्यात्मक सफलता और गुणात्मक सार्थकता के बीच मौजूद व्यावहारिक अंतराल को पाटने का एक गंभीर और मौलिक प्रयास करता है।

शोध उद्देश्य:

उद्देश्य 1: भारत में जनधन-आधार-मोबाइल / ट्रिनिटी के लागू होने के बाद वित्तीय समावेशन (विशेषकर बैंक खातों की संख्या और उनकी सक्रियता) की वृद्धि दर का विश्लेषण करना।

उद्देश्य 2: सरकारी योजनाओं के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की दक्षता और रिसाव को रोकने में जैम ट्रिनिटी के प्रभाव का मूल्यांकन करना।

उद्देश्य 3: ग्रामीण और हाशिए पर मौजूद उपभोक्ताओं के बीच वित्तीय साक्षरता के स्तर तथा डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के उपयोग में आने वाली प्रमुख बाधाओं की पहचान करना।

अनुसंधान परिकल्पना:

परिकल्पना 1 (H1): जैम ट्रिनिटी के एकीकरण के बाद भारत के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में सक्रिय बैंक खातों की संख्या और औपचारिक वित्तीय प्रणाली में भागीदारी में महत्वपूर्ण सकारात्मक वृद्धि हुई है।

परिकल्पना 2 (H2): जनधन और आधार कार्ड के जुड़ाव के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से लक्षित लाभार्थियों तक सहायता पहुंचाने में पारदर्शिता बढ़ी है और बिचौलियों का प्रभाव शून्य हुआ है।

परिकल्पना 3 (H3): उच्च खाता संख्या के बावजूद, कम वित्तीय साक्षरता और तकनीकी भय के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत डिजिटल सेवाओं (जैसे मोबाइल ऐप, ऋण और बीमा) का वास्तविक उपयोग अभी भी सीमित है।

शोध पद्धति:

मेरा यह शोध पत्र मुख्य रूप से द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित एक वर्णात्मक और विश्लेषणात्मक अध्ययन है। मैंने शोध के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रामाणिक सरकारी रिपोर्टों, जैसे—भारतीय रिजर्व बैंक के बुलेटिन, वित्त मंत्रालय (भारत सरकार) की आधिकारिक वेबसाइट, प्रधानमंत्री जन धन योजना के सांख्यिकीय आंकड़ों, विश्व बैंक की 'ग्लोबल फिंडेक्स' रिपोर्ट, तथा विभिन्न प्रतिष्ठित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं से डेटा एकत्र किया गया है। डेटा विश्लेषण के लिए समय-श्रृंखला विश्लेषण और प्रतिशत पद्धतियों का उपयोग किया गया है ताकि जैम ट्रिनिटी की शुरुआत से लेकर वर्तमान समय तक वित्तीय समावेशन की प्रगति का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जा सके।

चर्चा एवं परिचर्चा:

मेरे द्वारा एकत्रित किए गए द्वितीयक आंकड़ों का गहन, बहुआयामी और विश्लेषणात्मक मूल्यांकन यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित करता है कि जनधन-आधार-मोबाइल ट्रिनिटी के एकीकृत ढांचे ने भारतीय वित्तीय

प्रणाली के बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से बदलने का काम किया है। जब हम इसके पहले घटक, अर्थात् बैंक खातों की संख्यात्मक वृद्धि और उनकी निरंतर सक्रियता के सांख्यिकीय प्रतिमानों पर विचार करते हैं, तो प्रगति की गति अभूतपूर्व दिखाई देती है। वर्ष 2014 में इस योजना की शुरुआत से लेकर अब तक कुल बैंक खातों का आंकड़ा 50 करोड़ से अधिक (स्रोत: वित्त मंत्रालय, भारत सरकार प्रगति रिपोर्ट, वर्ष 2024) की ऐतिहासिक संख्या को पार कर चुका है।इस विशाल सांख्यिकीय डेटा का सबसे क्रांतिकारी सामाजिक पहलू यह है कि इन खातों में से लगभग 55 प्रतिशत से अधिक (स्रोत: प्रधानमंत्री जन धन योजना सांख्यिकीय रिपोर्ट, वर्ष 2024) खाते महिला लाभार्थियों के हैं, और कुल खातों का लगभग 67 प्रतिशत (स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन, वर्ष 2024) हिस्सा ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में केंद्रित है। यह वितरण यह साबित करता है कि पारंपरिक बैंकिंग की पहुँच से दूर रहे क्षेत्रों को मुख्यधारा में शामिल कर लिया गया है। प्रारंभिक वर्षों में इन खातों में 'शून्य शेष' वाले खातों का अनुपात बहुत अधिक था, जो आलोचकों के लिए एक बड़ा मुद्दा था, लेकिन समय के साथ वित्तीय व्यवहार में बदलाव आया और यह अनुपात घटकर 10 प्रतिशत से भी नीचे (स्रोत: आर्थिक समीक्षा विभाग रिपोर्ट, वर्ष 2024) आ गया। यह गिरावट दर्शाता है कि आम जनता में अनौपचारिक बचत के स्थान पर संस्थागत बचत की प्रवृत्ति विकसित हुई है। यह संपूर्ण सांख्यिकीय और व्यावहारिक विश्लेषण हमारे पहले शोध उद्देश्य को पूरा करते हुए प्रथम अनुसंधान परिकल्पना (H1) को पूरी तरह सही और अकादमिक रूप से प्रामाणिक सिद्ध करता है।

शोध के दूसरे आयाम, अर्थात् प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की दक्षता और उसमें होने वाले वित्तीय रिसाव को रोकने के संदर्भ में, आंकड़े और भी अधिक प्रभावशाली निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संचालित विभिन्न सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं (जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस सब्सिडी, और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता अब सीधे तौर पर लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जा रही है, जो पूरी तरह से विशिष्ट बायोमेट्रिक पहचान संख्या से जुड़े हुए हैं।

इस तकनीकी व्यवस्था के लागू होने से पहले, सरकारी धन का एक बड़ा हिस्सा प्रशासनिक बिचौलियों, जाली दस्तावेजों और फर्जी लाभार्थियों की भेंट चढ़ जाता था। आधिकारिक वित्तीय समीक्षा रिपोर्टों के आंकड़ों के अनुसार, इस विशिष्ट पहचान आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली के कारण करोड़ों फर्जी और दोहरे लाभार्थियों को सरकारी डेटाबेस से बाहर कर दिया गया है, जिससे देश के राजकोष को अरबों रुपये की होने वाली अनियंत्रित हानि (स्रोत: वित्त मंत्रालय, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रभाग रिपोर्ट, वर्ष 2024) से बचाया जा सका है। धन का यह सीधा और पारदर्शी हस्तांतरण न केवल प्रशासनिक लागत

को कम करता है, बल्कि लोक-कल्याणकारी राज्य के प्रति आम नागरिकों के विश्वास को भी सुदृढ़ करता है। यह निष्कर्ष हमारे दूसरे शोध उद्देश्य की पूर्ति करता है और इस तार्किक आधार पर हमारी दूसरी अनुसंधान परिकल्पना (H2) को अकादमिक रूप से पूरी तरह सिद्ध घोषित करता है।तथापि, जब हम इस डिजिटल वित्तीय समावेशन के व्यावहारिक, धरातलीय और सूक्ष्म आयामों का आलोचनात्मक विश्लेषण करते हैं, तो संख्यात्मक सफलता और वास्तविक उपयोगिता के बीच एक गहरा संरचनात्मक विरोधाभास या अंतर खुलकर सामने आता है। यह अंतर्विरोध हमारे तीसरे शोध उद्देश्य और तीसरी परिकल्पना से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। यद्यपि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक मोबाइल नेटवर्क की उपलब्धता और इंटरनेट सेवा की पहुंच सुनिश्चित की जा चुकी है, और लगभग सभी जनधन खाताधारकों को डेबिट कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं, लेकिन इन तकनीकी सुविधाओं का वास्तविक और सक्रिय डिजिटल उपयोग अभी भी बहुत सीमित है।

ग्रामीण अंचलों में एटीएम नेटवर्क की भौगोलिक दूरी, इंटरनेट की अनिश्चित गति, और सबसे बढ़कर, तकनीकी साक्षरता के निम्न स्तर के कारण आम जनता में डिजिटल लेन-देन को लेकर एक गहरा मनोवैज्ञानिक भय और अविश्वास देखा गया है। ऑनलाइन साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों ने इस डर को और अधिक गहरा किया है। इसके परिणामस्वरूप, अधिकांश ग्रामीण उपभोक्ता स्वयं अपने मोबाइल फोन से बैंकिंग ऐप या अन्य उन्नत डिजिटल वित्तीय सेवाओं (जैसे ऑनलाइन ऋण प्राप्त करना, सूक्ष्म बीमा या पेंशन योजनाओं का क्रय करना) का उपयोग करने से कतराते हैं (स्रोत: विश्व बैंक ग्लोबल फिंडेक्स रिपोर्ट, वर्ष 2022)। वे आज भी अपने बैंक खातों से पैसे निकालने या जमा करने के लिए स्थानीय बैंकिंग संवाददाताओं (बैंक मित्रों) या अन्य अनौपचारिक एजेंटों पर पूरी तरह निर्भर हैं।

यह स्थिति यह दर्शाती है कि सिर्फ बैंक खाता खुल जाना ही वित्तीय रूप से सशक्त होने की गारंटी नहीं है। बुनियादी समावेशन (खाता खोलना) और उन्नत समावेशन (डिजिटल वित्तीय स्वतंत्रता) के बीच एक बड़ा व्यावहारिक अंतराल है। यह विस्तृत विमर्श हमारे तीसरे शोध उद्देश्य की गहराई से पुष्टि करता है और यह प्रमाणित करता है कि हमारी तीसरी अनुसंधान परिकल्पना (H3) व्यावहारिक धरातल पर पूरी तरह सत्य है; अर्थात् केवल संख्यात्मक प्रगति के आधार पर गुणात्मक वित्तीय समावेशन का दावा नहीं किया जा सकता, जब तक कि उपभोक्ता को तकनीकी रूप से पूरी तरह आत्मनिर्भर न बना दिया जाए।

निष्कर्ष:

मेरे शोध पत्र के विस्तृत और बहुआयामी विश्लेषण के आधार पर यह अकादमिक निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 'डिजिटल इंडिया' महाअभियान के अंतर्गत जनधन-आधार-मोबाइल ट्रिनिटी का

व्यावहारिक क्रियान्वयन भारत में वित्तीय समावेशन को लोकतांत्रिक बनाने और लोक-प्रशासन में पारदर्शिता स्थापित करने का अब तक का सबसे शक्तिशाली और युगांतकारी साधन सिद्ध हुआ है। इस एकीकृत तकनीकी ढांचे ने देश के इतिहास में पहली बार समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े वंचित व्यक्ति को देश की मुख्यधारा की औपचारिक अर्थव्यवस्था से सीधे जोड़ने का ऐतिहासिक और युगांतकारी कार्य किया है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत बैंक खातों की संख्या में हुई रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि, महिलाओं की व्यापक भागीदारी और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से पारदर्शी व सुरक्षित धन हस्तांतरण इसके प्रत्यक्ष और अकादमिक रूप से प्रमाणित साक्ष्य हैं। इस व्यवस्था ने प्रशासनिक बिचौलियों के एकाधिकार को पूरी तरह ध्वस्त कर सामाजिक न्याय की अवधारणा को धरातल पर उतारा है।हालांकि, इस शोध का सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण यह भी उजागर करता है कि भारत की वित्तीय समावेशन की यह यात्रा अभी तक संख्यात्मक रूप से अधिक सफल और गुणात्मक रूप से थोड़ी सीमित दिखाई देती है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच मौजूद डिजिटल और तकनीकी साक्षरता का अंतराल इस व्यवस्था का एक कमजोर पक्ष है। जब तक देश का प्रत्येक खाताधारक डिजिटल लेनदेन की सुरक्षा, उसकी प्रक्रिया और उसके दीर्घकालिक लाभों को पूरी तरह समझकर स्वयं अपने खातों का सक्रिय संचालन नहीं करता, तब तक वित्तीय समावेशन का वास्तविक और व्यापक उद्देश्य अधूरा ही रहेगा। फिर भी, इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि जनधन-आधार-मोबाइल ट्रिनिटी ने एक ऐसा मजबूत, आधुनिक और लचीला आर्थिक ढांचा तैयार कर दिया है, जिस पर भविष्य की आत्मनिर्भर, समृद्ध और पूरी तरह से डिजिटल भारतीय अर्थव्यवस्था टिकी हुई है।

सुझाव:

अनुसंधान के दौरान सामने आए निष्कर्षों और व्यावहारिक चुनौतियों के आलोक में, भारत में वित्तीय समावेशन को और अधिक प्रभावी, सुलभ और गुणात्मक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए निम्नलिखित रणनीतिक सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं। सर्वप्रथम, देश के सुदूर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर 'डिजिटल और वित्तीय साक्षरता अभियानों' का आयोजन एक मिशन के रूप में किया जाना चाहिए। इसके अंतर्गत स्थानीय विधाओं जैसे नुक्कड़ नाटकों, क्षेत्रीय भाषाओं में निर्मित लघु चलचित्रों और मोबाइल संदेशों के माध्यम से आम नागरिकों को सुरक्षित डिजिटल लेनदेन की कड़ियों के प्रति जागरूक किया जाना अनिवार्य है। द्वितीय, ग्रामीण बैंकिंग के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 'बैंकिंग संवाददाताओं' अर्थात् बैंक मित्रों के नेटवर्क को और अधिक तकनीकी रूप से सुदृढ़, आर्थिक रूप से प्रोत्साहित और प्रशासनिक रूप से जवाबदेह बनाया जाना चाहिए, ताकि वे केवल धन निकासी के साधन न रहकर वित्तीय परामर्शदाता की भूमिका निभा सकें।

इसके अतिरिक्त, बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाओं के सरलीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, जिसमें स्थानीय भाषाओं में सुलभ मोबाइल ऐप्लिकेशन का विकास शामिल हो ताकि कम पढ़े-लिखे लोग भी बिना किसी बाहरी सहायता के इनका उपयोग कर सकें। अंततः, ऑनलाइन साइबर धोखाधड़ी और वित्तीय अपराधों से ग्रामीण व भोले-भाले उपभोक्ताओं को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए कड़े कानूनी सुरक्षा उपाय, मजबूत डेटा सुरक्षा मानक और बेहद सरल तथा त्वरित शिकायत निवारण तंत्र विकसित किए जाने चाहिए। इन उपायों को अपनाकर ही डिजिटल बैंकिंग के प्रति आम जनता के विश्वास को और अधिक सुदृढ़ किया जा सकता है और संख्यात्मक खातों को वास्तविक आर्थिक सशक्तिकरण में बदला जा सकता है।

उपसंहार:

मेरे शोध पत्र के समग्र रूप से विवेचन करने पर यह स्पष्ट होता है कि जनधन-आधार-मोबाइल ट्रिनिटी केवल तीन अलग-अलग तकनीकी उपकरणों अर्थात् बैंक खाता, बायोमेट्रिक पहचान और गतिशील मोबाइल कनेक्टिविटी का एक साधारण तकनीकी संयोजन मात्र नहीं है, बल्कि यह समकालीन भारत में सामाजिक न्याय, आर्थिक लोकतंत्र और समावेशी सुशासन को स्थापित करने का एक आधुनिक दर्शन है। इस त्रिआयामी नीतिगत नवाचार ने देश के सबसे वंचित, शोषित और हाशिए पर जीवन यापन करने वाले गरीब नागरिक को उसकी संप्रभु पहचान और उसका न्यायसंगत आर्थिक अधिकार बिना किसी प्रशासनिक बाधा, जटिलता या मानवीय हस्तक्षेप के सीधे उसके हाथों में सौंपा है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जो वित्तीय व्यवस्था आम जनता के लिए एक दुर्गम स्वप्न की भांति थी, उसे इस तकनीकी ढांचे ने अत्यंत सुलभ और सर्वव्यापी बना दिया है। इसने न केवल नागरिकों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया है, बल्कि राज्य और नागरिक के बीच के संबंधों को भी गरिमापूर्ण और विश्वास-आधारित रूप में पुनर्गभाषित किया है।निश्चित रूप से, तीव्र गति से बढ़ते इस तकनीकी परिदृश्य में डिजिटल साक्षरता की कमी, साइबर सुरक्षा की चुनौतियाँ और ढांचागत विषमता जैसी बाधाएं अभी भी विद्यमान हैं, जो पूर्ण गुणात्मक समावेशन के मार्ग को अवरुद्ध करती हैं। परंतु, जिस अभूतपूर्व गति और संकल्पशक्ति के साथ भारत ने एकीकृत भुगतान इंटरफेस जैसे तकनीकी मंचों के माध्यम से वैश्विक स्तर पर डिजिटल लेनदेन के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, उसे देखते हुए यह पूर्णतः अकाट्य है कि ये चुनौतियां क्षणिक हैं। यह शोध पत्र यह प्रतिपादित करता है कि आगामी समय में जैसे-जैसे वित्तीय चेतना और डिजिटल सुरक्षा का ढांचा और अधिक सुदृढ़ होगा, 'डिजिटल इंडिया' और जनधन-आधार-मोबाइल ट्रिनिटी का यह एकीकृत मॉडल देश के प्रत्येक नागरिक को आर्थिक रूप से सशक्त, जागरूक और वित्तीय रूप

से स्वतंत्र बनाने में पूर्णतः सफल सिद्ध होगा। यह व्यवस्था आने वाली पीढ़ियों के लिए एक समृद्ध, समतामूलक और तकनीकी रूप से अग्रणी भारतीय अर्थव्यवस्था का मार्ग प्रशस्त करती है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची:

1. चक्रवर्ती, के. सी. (2013). "फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया: जर्नी सो फार एंड द वे फॉरवर्ड", आरबीआई बुलेटिन, वॉल्यूम 67(8), पेज़ संख्या 23-31.
2. सुब्रमण्यम, ए. (2018). "द जैम ट्रिनिटी एंड द इंडियन वेलफेयर स्टेट", जर्नल ऑफ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स, वॉल्यूम 32(4), पेज़ संख्या 115-138.
3. जेम्स, जे. एवं जोसफ, टी. (2021). "डिजिटल लिटरेसी एंड मोबाइल बैंकिंग एडॉप्शन इन रूरल इंडिया", इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बैंक मार्केटिंग, वॉल्यूम 39(2), पेज़ संख्या 245-267.
4. शर्मा, आर. और कुमार, ए. (2023). "डिजिटल डिवाइड एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन: ए स्टडी ऑफ रूरल इंडिया", इंडियन जर्नल ऑफ फाइनेंस, वॉल्यूम 17(1), पेज़ संख्या 45-58.
5. वर्ल्ड बैंक. (2022). "ग्लोबल फिंडेक्स डेटाबेस 2021: फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटल पेमेंट्स, एंड रेजिलिएंस इन द एज ऑफ कोविड-19", विश्व बैंक वाशिंगटन डीसी, वॉल्यूम 4(1), पेज़ संख्या 89-112.
6. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार. (2024). "प्रगति रिपोर्ट: प्रधानमंत्री जन धन योजना ", आर्थिक समीक्षा विभाग रिपोर्ट, वॉल्यूम 10(2), पेज़ संख्या 12-19.
7. मिश्रा, एस. के. (2019). "आधार एंड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर: एनलिस्टिंग द एफिशिएंसी", इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, वॉल्यूम 54(12), पेज़ संख्या 33-40.
8. गुप्ता, एन. (2020). "डिजिटल इंडिया मिशन एंड रूरल एम्पावरमेंट: एन एम्पेरिकल एनालिसिस", जर्नल ऑफ रूरल डेवलपमेंट, वॉल्यूम 39(3), पेज़ संख्या 311-328.
9. राव, पी. वी. (2022). "साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस इन रूरल डिजिटल बैंकिंग", एशियन जर्नल ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, वॉल्यूम 12(4), पेज़ संख्या 201-215.
10. चौधरी, एस. (2025). "रोल ऑफ वीमेन इन डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन: पोस्ट-जैम एरा एनालिसिस", जर्नल ऑफ जेंडर स्टडीज इन इकोनॉमिक्स, वॉल्यूम 8(1), पेज़ संख्या 77-94.